हरकोफैड की वार्षिक कार्ययोजना 2025–26

हरियाणा में सहकारी आन्दोलन के प्रचार एवं प्रसार के साथ–साथ सदस्यों एवं भावी सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य हरकोफैड द्वारा किया जा रहा है। सभी सहकारी संस्थाओं व सहकारिता विषय पर राज्य में हरकोफैड मुख्य प्रवक्ता का दायित्व निभाते हुये सभी सहकारी संस्थाओंकी गतिविधियों, उपलब्धियों व उत्पादों इत्यादि के प्रचार–प्रसार का कार्य कर रही है।इसी परिपेक्ष में हरकोफैड द्वारावर्ष 2025–26 में ***"सहकार से समृद्धि"*** स्वप्न को साकार करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ निम्न प्रकार से चलाई जाएंगीः–

(क) शिक्षण एवं प्रशिक्षण

सदस्य सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण :–

सहकारी आन्दोलन के उद्‌देश्यों और मूल सिद्धातों मूल्यों बारे जितना अधिक लोगों को जागरुक करवाया जायेगा उतना ही अधिक आन्दोलन के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जायेगा। उन्हें सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की महत्ता, संस्थाओं के गठन, उद्‌देश्य, प्रबन्धन एवं संचालन के साथ–साथ उनके अधिकारों व कर्तव्यों बारे जागरूक कराया जायेगा ताकि सदस्यों की संस्था के कार्य–कलापों एवं प्रबन्धन में रूचि बढ़े। यह बदलाव सदस्यों एवं आन्दोलन दोनों के ही हित में होगा। विभिन्न प्रकार के रोजगार आम आदमी को मिले इन विषयों में तकनीकी जानकारी एवं अन्य साधन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

उपरोक्त उद्‌देश्य के दृष्टिगत हरकोफैड के फील्ड में कार्यरत सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारियों व शिक्षा अनुदेशकों द्वारा वर्ष 2025–26 में समिति सदस्यों/पदाधिकारियों, महिलाओं, विद्यार्थियों व कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धांत, उद्‌देश्य, ज्ञान, विचार–धाराओं, नीतियों, दर्शन–शास्त्र के साथ–साथ प्रजातान्त्रिक शासन एवं व्यवसायिक प्रबन्धन और सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के बारे भी समुचित जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ निम्न प्रकार चलाई जाएगीं:–

(1) कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

विवरणः– सहकारी समितियों व सहकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए कार्यों में दक्षता प्रदान करने हेतु दो दिवसीय कर्मचारी कक्षा का आयोजन कर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न विषय प्रस्तावित हैं:–

(1)मोटिवेशन– कार्य क्षेत्र एवं जीवन में सफलता के लिए प्रेरणा (Motivation & Office Eitquettes)

(2) कार्य निपटान में सहयोग भावना (Team Building-Cooperation in disposal of work)

(3) Cyber Security

(4) अन्य विषय/कार्यालय प्रक्रिया

कुल संख्याः—*22x2=*44 दो दिवसीय (प्रत्येक जिले में 2) कार्यक्रम तथा एक कार्यक्रम में 30 कर्मचारी भाग लेंगे। सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित करके कुल 44 कार्यक्रमों के माध्यम से कक्षाओं का आयोजन करके 1320 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

खर्चाः— कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) सदस्यों/महिलासदस्यों एवं भावी सदस्यों के लिए जागरुकता कार्यक्रमः—

विवरणः—प्रत्येक शिक्षा अनुदेशक द्वारा वर्ष में एक दिवसीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों व अन्य सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व भावी सदस्यों के लिए जागरुकताकार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

अभिप्रायः— इन कार्यक्रमों का आयोजन कर उपरोक्त अनुसार सहकारी समितियों के सदस्यों व भावी सदस्यों को सहकारी समिति के लाभ, सिद्धान्त, मूल्य, अधिकार—कर्तव्य, बचत व समय पर लेन देन के फायदे के साथ साथ सहकारी समिति की समाज में भागीदारी, "सहकार से समृद्धि" व सहकारी —सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

महिला सहकारी समितियों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्य हेतु क्षेत्र से प्रशिक्षक उपलब्ध करवाया जाएगा।

कुल संख्याः— प्रत्येक शिक्षा अनुदेशक द्वारा एक दिवसीय 25 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरकोफैड में वर्तमान में कार्यरत कुल 12 शिक्षा अनुदेशकों द्वारा वर्ष 2025—26 में प्रदेश में कुल 300 कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 9000 सदस्यों को सहकारिता बारे जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्टाफ की उपलब्धता पर अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे तो बजट भी उसी अनुपात में बढ जाएगा।

खर्चाः—कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम :—

विवरणः— प्रत्येक सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ, महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों, स्वंय सहायता समूह के सदस्यों, (JLG),अन्य सहकारी समितियों के सदस्यों व भावी सदस्यों हेतु उन्हें आवश्यकता अनुसार KVK/DSTसे प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

अभिप्रायः— इन कार्यक्रमों में सहकारी समितियों के सदस्यों को शामिल करते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार जैसे खाद्य संरक्षण, जैम, अचार, आंवला कैंडी, मिठाईयाँ मठ्ठी, कचरी पाउडर, मसाले पीसना, मिलटके—स्नैक्स, मिलट का सामान, मोमबती बनाना, साबुन बनाना, मुरब्बा,सिलाई—कढ़ाई, बुनाई, साड़ी व सूट के कवर, पर्दे व कुशन की सिलाई, वर्मीकम्पोस्ट,

मशरुम/ फलों कि खेती, फॉस्ट फूड स्टॉल व जूट वस्तु निर्माण इत्यादिके बारे में जागरूक करवाना व प्रशिक्षण दिलवाना और इससे सम्बन्धित सारे साधन उपलब्ध करवाना और क्षेत्र के अनुरूप गतिविधियों का प्रशिक्षण। उपरोक्त कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले मुख्यलाय में शिक्षा अधिकारी से विचार विमर्श किया जाए और प्रतिभागियों के आधार कार्ड, फोन नं0 व उनका फीड बैक लिया जाए। प्रत्येक जिले से ट्रेनरों की सूचि व उनके फोन नं0 मुख्यालय में भिजवाएं।

कुल संख्याः– सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा द्वारा सम्बन्धित स्टाफ के सहयोग से प्रत्येक जिले में 10 दिवसीय 04 कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। *(22x4)* कुल 88 कार्यक्रमों के माध्यम से 2640 सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा।

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(4) विद्यार्थी चेतना व भम्रण कार्यक्रम :–

विवरणः–हरकोफैड द्वारा स्कूलों के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहकारिता से परिचित करवाने तथा भविष्य में सहकारी आन्दोलन को अच्छे सहकार मिलें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को 'विद्यार्थी चेतना' कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता, सहकारी समिति व इनके विभिन्न ब्राण्ड, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के साथ–साथ पर्यावरण सरंक्षण, स्वच्छ भारत अभियान बारे जानकारी दी जाती है। इसके साथ–साथ विद्यार्थी चेतना कार्यक्रम में शिक्षात्मक प्रचार के लिये नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये सहकारी समितियों से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Competition) का भी आयोजन किया जायेगा। विद्यार्थियों को सहकारी समितियों कि कार्यप्रणाली व गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से सहकारी चीनी मिल, सहकारी दुग्ध सयंत्र, सहकारी बैंक व क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे सहकारी समितियों का भम्रण करवाना है। जिससे विद्यार्थियों में सहकारिता से सम्बन्धित जागरूकता व आन्दोलन से जुडने की इच्छा बढ़ेगी।

अभिप्रायः– प्रत्येक जिले में शिक्षा अनुदेशकों द्वारा अपने–अपने कार्यक्षेत्र के स्कूलों में 11वीं व 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सहकारिता की जानकारी हेतु व्याख्यान दिए जाते हैं।यह कार्यक्रम शिक्षा अनुदेशक द्वारा आयोजित किए जाएगें। भम्रण कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से कराया जाएगा। जिसमें 11वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सम्मलित किया जाएगा।

कुल संख्याः– प्रत्येक शिक्षा अनुदेशक द्वारा एक दिवसीय 15 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरकोफैड में वर्तमान में कार्यरत कुल 12 शिक्षा अनुदेशकों द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान प्रदेश में कुल 180 कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 9000 विद्यार्थियों को सहकारिता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा अनुदेशकों की उपलब्धता अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन उसी अनुपात में करने का लक्ष्य है व **भम्रण कार्यक्रम** में जिला स्तर पर 2 कार्यक्रम के माध्यम से 20 विद्यार्थियों को भम्रण करवाया जाएगा। राज्य स्तर पर वर्ष में (22x02) कुल

44 भम्रण के माध्यम से करीब 880 विद्यार्थियों को सहकारी आन्दोलन की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा।

खर्चाः—कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(5) युवा कौशल विकास कार्यक्रम :—

अभिप्रायः—राज्य के सभी जिलों में कार्यरत बहु तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान/स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 150 प्रतिभागीयों को सम्मिलित करते हुए "युवाउत्थान— सहकारिता समाधान" तथा "स्वरोजगार सृजन—सहकारिता द्वारा" विषयों पर युवाओं को सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार बारे जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी व सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत बहुउददेशीय समितियों के बारे में अवगत कराया जायेगा। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से आयोजित किए जाएगें।

अवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ (expert) उपलब्ध होने पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न विषयों पर प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।

1. Agriculture input business (कृषि व्यवसाय निवेश)
2. Marketing of organic food (जैविक भोजन का विपणन)
3. Cyber Security
4. Self Employeement through Cooperative

प्रस्तावित क्षेत्रः—जिला स्तर पर।

कुल संख्याः— *22x2= 44* कार्यक्रमों का आयोजन करके 6600 प्रतिभागीयों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

खर्चाः—कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(6) 'सहकारी नेतृत्व विकास' कार्यक्रमः—

अभिप्रायः—समितियों की प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के लिए 44 नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित कियें जाएगें। इसका उद्देश्य सहकारिता में अच्छे नेतृत्व विकास को विकसित करते हुए सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से आयोजित किए जाएगें। जिसमें जिले में कार्यरत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां व अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के कमेटी सदस्यों हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

प्रस्तावित क्षेत्रः—जिला स्तर पर 02 कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

कुल संख्याः—राज्य भर में 44 कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 50x44=2200 कमेटी सदस्यों को सम्मलित करने का लक्ष्य रखा गया है।

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(7)"समुदाय के प्रति निष्ठा" सिद्धांत पर कार्यक्रमः–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैंः–

(1) स्वच्छता दिवस आयोजन।
(2) सेमिनार –'Cooperative and Concern for Community'
(3) सहकारी अनुभव गांव कार्यक्रम/सहकार अनुभव शहरी कार्यक्रम।
(4) आर्युवेदिक औषद्यियों व अन्य प्रकार के फलदार वृक्ष लगाना।

विवरणः–प्रत्येक शिक्षा अनुदेशक द्वारा कर्मचारियों/सदस्यों में 'समुदाय के प्रति निष्ठा' उत्पन्न करने के लिये प्रत्येक जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

अभिप्रायः– इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों व सदस्यों को पर्यावरण सरंक्षण, पौधारोपण व स्वच्छता अभियान बारे जागृति उत्पन्न करना व वरिष्ठ नागरिकों से सम्पर्क कर उनके अनुभवों से सहकारिता को विस्तार देना है। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी व सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशकों द्वारा आयोजित किए जाएगें। नर्सरी से फलदार/औषधीय पौधे प्राप्त किए जाएगें।

कुल संख्याः– 44

खर्चाः–कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

जागरुकता उत्सव के माध्यम से

(8) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम :–

अभिप्रायः–हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को समर्पित तथा उनकी उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना भी है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वह पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य सहकारी अन्दोलन में महिलायों की भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हे जागरुक करना व आन्दोलन को मजबूत बनाना है।

प्रस्तावित क्षेत्रः–*समय व स्थान की आवश्यकता अनुसार यह कार्यक्रम प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित स्टाफ के सहयोग से आयोजित किया जायेगा।*

कुल आयोजन संख्याः– 1

प्रतिभागी संख्याः– 150X1= 150

उपस्थितिः—सहकारी विभाग व संस्थाओं की महिला अधिकारी कर्मचारी, वरिष्ठ महिला सहकार, सदस्य व कमेटी सदस्य।

खर्चाः—कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कार्यक्रमः—

अभिप्रायः—हर साल अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के योगदान को समाज के सामने लाने व इसमें आमजनों की भागीदारी बढाने के साथ—साथ इसके बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है।

विवरणः—"सहकार से समृद्धि" विषय शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित स्टाफ के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमें सहकारी समितियों के सदस्यों, अधिकारियों, व कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सहकारी आंदोलन की उपलब्धियों को समाज के सामने लाना है। यह कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों को आमन्त्रित करते हुए आयोजित करना है।

प्रस्तावित क्षेत्रः— प्रस्तावित क्षेत्रः—*समय व स्थान की आवश्यकता अनुसार यह कार्यक्रम प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड के निर्देशानुसार शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित स्टाफ के सहयोग से आयोजित किया जायेगा।*

उपस्थितिः—प्रशासनिक अधिकारी, सहकारी विभाग व संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी, वरिष्ठ सहकार सदस्य, कमेटी सदस्य।

खर्चाः— राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर खर्च की सीमा बारे निर्णय आयोजन की परिस्थितियों, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा लिया जायेगा।

विचार गोष्ठियाँ

(10) सहकारी विपणन समितियों के सदस्यों हेतु विचार गोष्ठीः—

विवरणः सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों के सदस्यों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए एक जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिले में कार्यरत सभी सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समितियों के सदस्य, कमेटी सदस्य एवं कर्मचारी भाग लेंगे।

प्रस्तावित क्षेत्रः—हिसार, महेन्द्रगढ., कुरूक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर।

कुल संख्याः— उपरोक्त 5 जिलों में।

खर्चाः—कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(11) सी.एम. पैक्स, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों हेतु विचार गोष्ठी :–

विवरणः–बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के सदस्यों, पदाधिकारियों व भावी सदस्यों हेतु सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

अभिप्रायः– सहकारी अधिनियम, नियम व समिति उप–नियम पर चर्चा करने के साथ–साथ प्रतिभागियों को वित्त सुविधा, विपणन व बेहतर कार्यप्रणाली बारे जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी व सहकारी समितियों से सम्बन्धित सहकारी विभाग, NCDC, NABARD की योजनाओं व कृषि अवसंरचना कोष स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की नीतियों अनुसार समितियों को सुचारु रुप से चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। एक कार्यक्रम में 150 सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों व अधिकारियों को शामिल किया जायेगा। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्कल में मांग अनुसार सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से आयोजित किए जाएगें।

विशेष तौर पर विचार गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही विभिन्न सहकारी समितियों के उत्पादों की प्रर्दशनी भी लगवाई जाएगी जिसके लिए सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी स्तर पर सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर प्रबन्ध किया जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः–अम्बाला, कुरूक्षेत्र, जीन्द़, रोहतक, करनाल, भिवानी, सिरसा, गुरूग्राम, यमूनानगर व चरखीदादरी।

कुल संख्याः– प्रत्येक सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा एक–एक सेमिनार का आयोजन कर राज्य में कुल 10 सेमिनार आयोजित कर 1500 प्रतिभागी को सम्मिलित किया जाएगा।

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(12) किसान गोष्ठी कार्यक्रमः–

अभिप्रायः– सहकारी आन्दोलन के अर्न्तगत किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं तथा उनको कैसे प्राप्त करें इस बारे में जानकारी देने व किसान की आय में बढ़ौतरी करवाने तथा केन्द्र व राज्य सरकार की जानकारी कृषक समुदाय तक पंहुचाने हेतू कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान बन्धुओं को जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जो किसान जैविक खेती कर रहें हैं उनको इस कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के तौर पर बुला कर किसानों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि किसान जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दें।

कृषि अवसंरचना कोष एवं बुनियादी ढांचा विषय पर विस्तृत जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के साथ–साथ राज्य के किसानों को प्रगतिशील व खुशहाल किसान की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों में किसान बन्धुओं को कृषि अवसंरचना कोष, शुन्य बजट प्राकृतिक खेती व अन्य सम्बन्धित विभागों की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी

संस्थाओं, कृषि विभाग, बागबानी व डेयरी व पशुपालन विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित कर जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगीं।

प्रस्तावित क्षेत्रः—सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से जिले में एक—एक संगोष्ठी का आयोजन कर राज्य में कुल 8 कार्यक्रमों का आयोजन कर करीब 1200 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः—झज्जर, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, पानीपत व अम्बाला।

कुल संख्याः—सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारीयों द्वारा सेमिनारों का आयोजन कर राज्य में कुल आठ सेमिनार आयोजित कर 1200 प्रतिभागीयों को सम्मिलित किया जाएगा।

खर्चाः— कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(13) महिला डेयरी सहकारिताओं एवं अन्य संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं के लिये सेमीनार :—

विवरणः—सहकारी आन्दोलन बारे महिलाओं को जागरूक करने व आन्दोलन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से "सहकारिताओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" विषय पर वर्ष 2025—26 में जिलों से सम्बन्धित जिला दुग्ध संघ/दुग्ध संयंत्र के अधिकारियों से विचार—विमर्श कर दुग्ध सहकारिताओं की महिला पदाधिकारियों व महिला सदस्यों हेतु सेमिनारों का आयोजन 06 जिलों में किया जायेगा।

अभिप्रायः— इनमें महिलाओं को सहकारिता बारे जागरूक करने के साथ—साथ उन्हें पशुपालन विभाग तथा डेयरी सहकारिताओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा लाभप्रद जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके साथ ही प्रदेश में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', जैसी योजनाओं व भ्रूण हत्या को रोकने बारे भी सहकारों को जागरूक किया जायेगा। इस प्रकार हरकोफैड सहकारिता के सातवें सिद्धांत ''समुदाय के प्रति निष्ठा'' को वास्तविक रूप में क्रियान्वित कर सकेगा। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से आयोजित किए जाएगें।

विशेष तौर पर विचार गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही विभिन्न सहकारीसमितियों के उत्पादों की प्रर्दशनी भी लगवाई जाएगी जिसके लिए सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी स्तर पर सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर प्रबन्ध किया जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः—प्रत्येक सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी सर्कलमें जिले की आवश्यकता अनुसार एक—एक सेमिनार का आयोजन कर राज्य में कुल 6 सेमिनार आयोजित कर 900 प्रतिभागी को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः—रोहतक, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, अम्बाला व यमुनानगर।

कुल संख्याः—06

खर्चा :— कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(14) सहकारी चीनी मिल के सदस्यों हेतु सेमिनार :–

विवरणः–हरियाणा प्रदेश में कार्यरत सहकारी चीनी मिलों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों हेतु चीनी मिलों में पाँच सेमिनारों का आयोजन किया जायेगा। यह सेमिनार भी जिला स्तर के होंगे जिनमें कम से कम 150 सदस्यों, कर्मचारियों व अधिकारियों को शामिल किया जायेगा। गन्ना विशेषज्ञों द्वारा गन्ना क्षेत्र में उत्पादन के माध्यम से आमदन तथा रोजगार को बढ़ावा देने बारे जानकारी भी दी जायेंगी। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशक के सहयोग से आयोजित किए जाएगें।

अभिप्रायः–चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों व सदस्यों को उनके क्षेत्र में अधिकारों व कर्तव्यों का बोध कराना। गन्ने सम्बन्धित अधिक उत्पादन गन्ना फसल पर आने वाली बीमारियों के ईलाज के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

विशेष तौर पर विचार गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में अच्छी किस्म के गन्ने की प्रर्दशनी भी लगाई जाएगी व गन्ने की अच्छी पैदावार लेने वाले किसानों को बुलाया जा जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः शाहबाद, गोहाना, महम, पलवल, सोनीपत एवं कैथल सहकारी चीनी मिल।

कुल संख्याः– इस प्रकार वर्ष में 06 चीनी मिलों में 900 सदस्यों को जागरूक किया जायेगा।

खर्चाः–कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

(15) सहकारिता पर विचार गोष्ठी :–

अभिप्रायः– राज्य की सहकारी समितियों को सफल सहकारी समितियों में बदलने और सहकारी क्षेत्र को प्रभावशाली व जन आंदोलन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से परिचर्चा की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत *"सहकार से समृद्धि"*स्वप्न को साकार करने के लिए "सहकारिता का विकास–एक परिचर्चा" व "सहकारिताओं में आपसी सहयोग को मजबूत बनाना" विषय पर शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र की मांग व आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम शिक्षा अधिकारी व अन्य स्टाफ के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे।

विशेष तौर पर विचार गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही विभिन्न सहकारीसमितियों के उत्पादों की प्रर्दशनी भी लगवाई जाएगी जिसके लिए शिक्षा अधिकारी स्तर पर सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर प्रबन्ध किया जाएगा।

मुख्यालय के आदेश अनुसार यह कार्यक्रम *प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा समय व स्थान की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सर्कल के किसी भी जिले में आयोजित किया जा सकता है। कुल 5 कार्यक्रम* आयोजित करके 1250 प्रतिभागीयों को सम्मिलित किया जाएगा।

कुल संख्याः–05

खर्चाः–कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत।

(16) राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी :–

विवरणः–*राज्य स्तर पर समय की मांग के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन सहकारी मंत्रालय, हरियाणा व विभाग के उच्च अधिकारियों व प्रबन्ध निदेशक के मार्गदर्शन व निर्देशन में समय की मांग के अनुसार विषयों पर शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा व प्रत्येक कार्यक्रम में 500–600 सहकारों को आमंत्रित करने का लक्ष्य है।*

विशेष तौर पर विचार गोष्ठी के दौरान क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही विभिन्न सहकारीसमितियों के उत्पादों की प्रर्दशनी भी लगवाई जाएगी जिसके लिए शिक्षा अधिकारी स्तर पर सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर प्रबन्ध किया जाएगा।

खर्चाः– राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर खर्च की सीमा बारे निर्णय आयोजन की परिस्थितियों, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा लिया जायेगा।

(17) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर विभिन्न स्कीमों हेतू कार्यक्रम

इस कार्यक्रम पर खर्च की सीमा बारे निर्णय आयोजन की परिस्थितियों, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा लिया जायेगा।

(18) अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम (Study tour):–

विवरणः– अन्य राज्यों में सहकारी आन्दोलन की जानकारी के लिए हरकोफैड,सहकारिता विभाग/समितियां के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए समय–समय पर अध्ययन भ्रमण व प्रशिक्षण का कार्यक्रम, आर.आई.सी.एम. व एन.सी.यू.आई के सहयोग व स्वतन्त्र रुप से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा।

राज्य में सफल सहकारी समितियों में कर्मचारियों, किसान बन्धुओं व सहकारों का भ्रमण व प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिला स्तरीय केन्द्रीय व प्राथमिक सहकारी समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर/स्वतंत्र रूप पर किया जाएगा।

(ख) प्रचार एवं प्रसार

सहकारिताओं की विचार–धारा, मूल सिद्धांत को सदस्यों तक पहुँचाने के उद्देश्य से फैडरेशन द्वारा किसान कल्याण कार्यक्रम, लेख, भाषण, कविता एवं पेंटिंग / ड्राईंग प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रतियोगिताओं में सहकारी दर्शन के साथ–साथ राज्य सरकार तथा सहकारी आन्दोलन द्वारा उठाये जा रहे नवीनतम कदमों बारे जानकारी दी जायेगी व युवाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने व आत्मनिर्भर बनने हेतू प्रेरित किया जाएगा। प्रचार एवं प्रसार के अर्न्तगत कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(1) लेख प्रतियोगिताएं :–(स्कूल स्तर पर)

विवरणः– प्रत्येक जिलें में 2 कार्यक्रम शिक्षा अनुदेशक द्वारा राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सहकारिताओं की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से **1.''महिला सशक्तिकरण सहकारिताओं द्वारा'' 2. ''युवा उत्थान मे सहकारिताओं की भूमिका**''विषय पर दो निबन्ध प्रतियोगितायों का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार मु02100 / –रू0, द्वितिय पुरस्कार मु01500 / –रू0, तृतीय पुरस्कार मु01100 / –रू0, दौ सांत्वना पुरस्कारमु0 700 / –रू0, मु0 700 / –रू0,की नकद राशि दी जायेगी।

अभिप्रायः– विद्यार्थियों को सहकारिता बारे जागरूक करना।
प्रस्तावित क्षेत्रः– स्कूल स्तर के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए।
कुल संख्याः–44 प्रतियोगिता।
खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(2) पेंटिंग / ड्राईंग प्रतियोगिताएंः–

विवरणः– हरकोफैड द्वारा अधिक से अधिक विद्यार्थियों में सहकारिता बारे रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 में ''**समुदाय के प्रति निष्ठा**'' विषय पर प्रत्येक जिले में 2 कार्यक्रम शिक्षा अनुदेशक द्वारा पेंटिंग / ड्राईंग प्रतियोगिताएं (स्कूल स्तर पर) आयोजित करवाने का लक्ष्य है। प्रथम पुरस्कार मु0 2100 / –रू0, द्वितियपुरस्कारमु0 1500 / –रू0, तृतीय पुरस्कार मु0 1100 / –रू0, दौ सांत्वना पुरस्कारमु0 700 / –रू0, मु0 700 / –रू0,की नकद राशि दी जायेगी।

अभिप्रायः– विद्यार्थियों में सहकारिता बारे रूचि उत्पन्न करना।

कुल संख्याः– 44

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(3) भाषण प्रतियोगिताएंः– (महाविद्यालय स्तर पर)

विवरणः– महाविद्यालयों में स्नातक तक के छात्रों को अपने सहकारिता सम्बन्धी ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में **सत्त विकास एवं प्रगति में सहकारिताओं की भूमिका"** विषय पर एक–एक भाषण प्रतियोगिता

का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा तथा प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्रों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा। प्रतियोगिता के विषय बारे भी आयोजन के समय पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ–साथ भाषण प्रतियोगिता में शिक्षात्मक प्रचार के लिये महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिये सहकारी समितियों से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (Quiz Competition) का भी आयोजन किया जा सकता है। जिससे युवाओं में सहकारिता से सम्बन्धित जागरूकता बढ़ेगी। प्रथम पुरस्कार मु0 3100/–रू0, द्वितियपुरस्कारमु0 2100/–रू0, तृतीय पुरस्कार मु0 1100/–रू0, दौ सांत्वना पुरस्कारमु0 700/–रू0, मु0 700/–रू0,की नकद राशि दी जायेगी।

यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षा अनुदेशकों के सहयोग से आयोजित किए जाएगें।

अभिप्रायः– छात्रों में सहकारिता सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार करना।

प्रस्तावित क्षेत्रः– महाविद्यालयों में स्नातक तक के छात्रों के लिए।

कुल संख्याः– 22 प्रतियोगिताएं।

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(4) किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमः

अभिप्रायः– सहकारी आन्दोलन के अर्न्तगत किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं तथा उनको कैसे प्राप्त करें इस बारे में जानकारी देने व किसान की आय में बढ़ौतरी करवाने तथा केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी कृषक समुदाय तक पंहुचाने के उद्देश्य से।

विवरणः– इन कार्यक्रमों में किसान बन्धुओं को जैविक खेती पैदा करने के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जो किसान जैविक खेती पैदा कर रहें हैं उनको इस कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के तौर पर बुला कर किसानों को जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि किसान जैविक खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके साथ–साथ प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत व अन्य सम्बन्धित विभागों की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उन्हें प्रगतिशील किसान बनाने का प्रयत्न करना है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम **23 दिसम्बर किसान दिवस** पर आयोजित किया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि कृषि क्षेत्र की नवीनतम सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाना है। किसान दिवस लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करता है।

प्रस्तावित क्षेत्रः–प्रदेश में जिले में तहसील व ब्लॉक स्तर पर एक जिले में कुल 12 कार्यक्रमों का आयोजन कर जिला स्तर पर 600 किसानों व राज्य स्तर पर करीब 13200 किसानों को सम्मिलित किया जायेगा। यह कार्यक्रम शिक्षा अनुदेशकों के माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। जिले में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों को आमंत्रित कर आयोजित किए जाएगें।

कुल संख्याः– 22X12=264

खर्चाः– कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(5) (a) **बीज सहकारी समितियां विकास सेमीनारः**

अभिप्रायः—कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं एवं कई नीति और कानून लाती है। इनसे संबंधित क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होता है। मल्टी स्टेट कोओपरेटिव बीज सोसाइटी के जरिए बीजों की देशी और प्राकृतिक किस्मों का संरक्षण और संवर्धन भी किया जाऐगा, इससे बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में खास मदद मिलेगी। इनसे सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी कृषक समुदाय तक पंहुचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

विवरणः— इन कार्यक्रमों में किसान बन्धुओं को अच्छी क्वालिटी के बीजों के उत्पादन, खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के साथ—साथ रिसर्च और डेवलपमेंट में जानकारी मिलेगी। इससे बीज उम्पदन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में खास मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में पैक्स के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं कर्मचारियों आमन्त्रित किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आयोजित किए जाऐंगे। तथा सहकारों को बीज सहकारी समितियां बनाने हेतू प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तावित क्षेत्रः—प्रदेश में जिले में तहसील व ब्लॉक स्तर पर एक जिले में कुल 06 सेमीनारों का आयोजन कर जिला स्तर पर 150 व राज्य स्तर पर करीब 900 किसानों/पैक्स के निदेशक व प्रबन्धक को सम्मिलित किया जायेगा। यह कार्यक्रम सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा अनुदेशकों के माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। जिले में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों को आमंत्रित कर आयोजित किए जाएगें।

कुल संख्याः—06 सेमीनार राज्य में (हिसार, भिवानी, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद,कुरूक्षेत्र)।

खर्चाः— कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(5) (b) **जैविक खेती विकास सेमीनार**

अभिप्रायः— सहकारी आन्दोलन के अर्न्तगत किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं तथा उनको कैसे प्राप्त करें इस बारे में जानकारी देने व किसान की आय में बढ़ौतरी करवाने तथा केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी कृषक समुदाय तक पंहुचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

विवरणः— इन कार्यक्रमों में किसान बन्धुओं को जैविक खेती पैदा करने के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जैविक खेती करने वाले किसानों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा व उनके उत्पाद की बिक्री में मदद की जाएगी। जैविक खेती पैदा कर रहे किसान तथा पैक्स के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं कर्मचारियों आमन्त्रित किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आयोजित किए जाऐंगे।

प्रस्तावित क्षेत्रः—प्रदेश में जिले में तहसील व बलॉक स्तर पर एक जिले में 1 कार्यक्रम का आयोजन कर राज्य स्तर पर करीब 3300 किसानों को सम्मिलित किया जायेगा। यह कार्यक्रम

सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा अनुदेशकों के सहयोग से आयोजित करवाए जाऐंगे। जिले में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों को आमंत्रित कर आयोजित किए जाएगें।

कुल संख्याः—22 कार्यक्रम राज्य में।

खर्चाः— कार्यक्रम पर होने वाले खर्चों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर प्रस्तुत है।

(6) *अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष* कार्यक्रम (IYC):—

विवरणः—*अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय खर्च की सीमा बारे निर्णय आयोजन की परिस्थितियों, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा लिया जायेगा।*

*नोटः— हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सभी कार्यक्रमों में 25 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होने चाहिए। वार्षिक कार्ययोजना अनुसार किये गए कार्यक्रम मेंप्रतिभागियों की*संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यक्रम का बजट उसी अनुपात व वक्ता अनुसार/परिस्थिति अनुसार बढ़ा दिया *जाएगा। कार्यक्रमों का आयोजन स्टाफ, वित्त व समय कि स्थिति पर निर्भर करेगा।*

(7) टी.वी. पर पाक्षिक सहकारिता कार्यक्रम/एपिसोडः—

सभी संस्थाओं प्रचार व प्रसार के लिये टी.वी. चैनल पर आधे घंटे का पाक्षिककार्यक्रम प्रसारित करने बारे प्रसारण सामग्री तैयार कर प्रसारित करने का कार्यक्रम बनाया जायेगा। यह कार्यक्रम डी.ए.वी.पी. की निर्धारित दरों पर तैयार करवाया जायेगा। जिसके खर्चे बारे समय व परिस्थिति अनुसार विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

*नोटः— हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सभी कार्यक्रमों में 25 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होने चाहिए। उपरोक्त कार्यक्रमों में प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा समय व स्थान की आवश्यकता अनुसार व*विशेष परिस्थितियों में*प्रतिभागियों की* निर्धारित संख्या से अधिक होने पर *बजट में उसी अनुपात में बदलाव किया जा सकता है। कार्यक्रमों का आयोजन स्टाफ, वित्त व समय कि स्थिति पर निर्भर करेगा।*

(8) प्रचार सामग्रीः—

हरकोफैड का मुख्य दायित्व सहकारी संस्थाओं के कार्यों का यथोचित प्रचार करना है। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा सहकारी सिद्धांतों एवं सहकारिता के व्यवहार बारे जन—साधारण को जागरूक करना है। हरकोफैड द्वारा शिक्षात्मक प्रचार की गतिविधियों में तीव्रता लाने तथा सहकारी आन्दोलन की प्रगति को जन—जन तक पहुँचाने के लिये यह आवश्यक है कि समय—समय पर विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों को दर्शाते हुये पोस्टर, बैनर, वाल हैगिंग, सहकारिता के सिद्धांत, हरकोफैड के Organisation Structure, Join Cooperatives, सहकारिता के जुड़े हाथ, सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों व हरकोफैड के कार्यक्रमों पर हिंदी व अंग्रेजी में सभी शिक्षा अनुदेशकों के लिये दो—दो रोलिंग,

फलैक्स बैनर तथा अन्य सामान बनवाये जायेंगे और इन्हें सदस्यों व भावी सदस्यों के लाभार्थ महत्वपूर्ण स्थानों जैसे विभिन्न सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों तथा सहकारी विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में लगवाया जायेगा तथा साथ ही जागरूकता के लिए प्रचार वाहन(Publicity Van)व अन्य प्रचार उपकारण भी खरीदे जायेगें। इस आशय की पूर्ति के लिये हरकोफैड द्वारा बड़े रंगीन पोस्टर, लघु–पुस्तिकाएं (फोल्डरस), पैम्पलेटस, सहकारी दूरभाष निर्देशिका (अंग्रेजी) (Co-operative Telephone Directory)तथा दूरभाष टेबल चार्ट (हिन्दी) आदि प्रकाशित करने की योजना है। टी.वी. और रेडियो विज्ञापन द्वारा जनसाधारण को संस्था सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना।

(9) प्रकाशन सामग्रीः–

सदस्यों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध करवाने के उद्‌देश्य से सहकारिता के विभिन्न पहलुओं बारे आवश्यकतानुसार पोस्टर/फोल्डर प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सहकारी दिवस समारोह के अवसर पर विशेष रूप से प्रकाशन सामग्री तैयार करके सहकारों में वितरित की जायेगी ताकि उन्हें सहकारी आन्दोलन के दर्शन तथा सहकारी संस्थाओं की नवीनतम योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके।

(10) कार्यक्रमों/बैठकों की कवरेज़ एवं प्रैस विज्ञप्ति जारी करनाः–

सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों तथा बैठकों के प्रचार–प्रसार के लिये उनकी फोटो तथा न्यूज़ हरकोफैड की पत्रिकाओं में प्रकाशित करने तथा विभिन्न दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रैस विज्ञप्तियां जारी करने की उचित व्यवस्था करने का कार्यक्रम है। प्रचार एवं सम्पादन शाखा द्वारा यह कार्य फील्ड स्टाफ के सहयोग से सम्पन्न किया जायेगा।

(11) हरकोप्रैस (इकाई) द्वारा मुद्रण कार्यक्रमः–

हरियाणा की सभी सहकारी संस्थाओं को प्रिंटिड स्टेशनरी की आपूर्ति बढ़िया क्वालिटी तथा उचित दरों पर सुनिश्चित करने के लिए हरकोफैड द्वारा चण्डीगढ़ में हरकोप्रैस स्थापित की हुई है। सहकारी संस्था से सम्बन्धित सभी कार्यालय तथा मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा कि वो अपने प्रिटिंग के कार्य हरकोफैड की प्रिटिंग प्रैस से करवायें। हरियाणा सरकार ने भी चाहा है कि सहकारी संस्था से सम्बन्धित प्रिटिंग के सभी कार्य सहकारी प्रिटिंग प्रैस से ही कराये जायें। इस कारण से प्रिटिंग प्रैस में जिस भी प्रकार के चाहे वह मशीनरी, चाहे वह कर्मचारियों की नियुक्ति, इसका प्रबन्ध किया जायेगा ताकि विभागों का कार्य समय पर उपलब्ध कराया जा सके। हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा के सहयोग से हरकोप्रैस का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

वर्ष 2025–26के दौरान हरकोप्रैस (इकाई) द्वारा लगभग 02.00 करोड़ रूपये मूल्य का उत्पादन कार्य तथा 02.30 करोड़ रूपये की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर सहकारी आधारों से भी प्रिंटिंग कार्य उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। यह कार्य प्रैस के कर्मचारियों तथा हरकोफैड के कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयास से होगा।

(12) अन्य कार्यक्रम

हरकोफैड को सहकारी आन्दोलन के लिये दूरगामी एवं प्रशिक्षण तथा प्रचार एवं प्रसार के दायित्व का निर्वहन अधिक प्रभावशाली ढंग से करने के लिये सक्षम एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से निम्न गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जायेगाः–

(13) सर्वेक्षण एवं शोध कार्यः–

वर्ष 2025–26में हरकोफैड द्वारा सहकारी आन्दोलन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सर्वेक्षण का कार्य किसी विशेषज्ञ एवं अनुभवी के सहयोग से करवाया जायेगा। हरकोफैड के उप–नियम 3 के अनुसार ऐसे सर्वेक्षण एवं शोध कार्य उपरान्त कार्यविधि में सुधार लाने के लिये वंछित पग उठाये जाएंगे।

(14) हरियाणा सहकारी प्रकाशः–

पत्रिका में पाठकों की बढ़ती रूचि के दृष्टिगत इसे और अधिक रोचक तथा उपयोगी बनाया जा रहा है और इस वर्ष इसमें अधिक उपयोगी सामग्री प्रकाशित की जायेगी तथा समय–समय पर इसका कम से कम एक विशेषांक भी प्रकाशित किया जाऐगा। वर्ष के दौरान पत्रिका के 12 अंक तथा प्रत्येक अंक की 3000 प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी। इस प्रकार वर्ष में कुल 36000 प्रतियाँ प्रकाशित होंगी। यह प्रयास रहेगा कि पत्रिका का सभी सहकारी समितियों को ग्राहक बनाया जाये व पत्रिका निर्बाध रूप से सभी सहकारी समितियों में पहुँचे।

(15) रेडियो/टी.वी. वार्ता, जिंगल्स तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस फिल्म (Success Stories and Video Tutorials):

हरकोफैड राज्य के सहकारी आन्दोलन के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा है। सहकारी आन्दोलन द्वारा की गई प्रगति से जन–साधारण को अवगत करवाने के लिये फिल्में एक सशक्त माध्यम हैं। इन फिल्मों के माध्यम से एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों को रूचिकर ढंग से सहकारी आन्दोलन का संदेश पहुँचाया जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं की जन–हितैषी गतिविधियों तथा इसके लोक–कल्याण के कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने के लिये रेडियो वार्ताओं, टी.वी., वार्ताओं का आयोजन तथा सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित फिल्मों एवं लघु फिल्मों के माध्यम में प्रयास किये जाएंगे। इसके लिये विभिन्न संस्थाओं से सम्बन्धित रेडियो/टी.वी. जिंगल्स बनवाने के भी प्रयास किये जाएंगे।

साथ ही सरकार से अनुरोध करेंगे कि कृषि दर्शन कार्यक्रम की तर्ज पर सहकारिता सम्बन्धी कार्यक्रम भी टी.वी. पर प्रसारित किया जाए।

उपरोक्त कार्यों का सफल निर्वहन पर्याप्त मात्रा में धन–राशि तथा स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(16) मुख्यालय के अपने भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करनाः–

हरकोफैड एक राज्य स्तरीय संस्था परन्तु इस का अपना कोई भवन नहीं है जब कि अन्य सहकारी संस्थाओं के अपने–अपने भवन बने हुए हैं। यह संस्था सहकारी विभाग की गतिविधियों को जन–जन तक पहुँचाने के लिये सहकारी आन्दोलन का प्रचार–प्रसार का कार्य करती है व सहकारी आन्दोलन का राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके लिए परीक्षण केन्द्र एवं कार्यालय, लाईब्रेरी तथा थियेटर आदि की व्यवस्था के लिए भवन की आवश्यकता के मद्देनज़र हुड्डा से जमीन अलाट करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2025–26 के अनुसार राज्य में 1210 कार्यक्रम आयोजित करके 62390 सदस्यों एंव भावी सदस्यों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

सभी कार्यक्रम *पर होने वाले व्यय की सीमा बारे निर्णय आयोजन की परिस्थितियों, स्थान एवं भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड द्वारा लिया जायेगा।*

नोटः– हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सभी कार्यक्रमों में 25 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होने चाहिए। वार्षिक कार्ययोजना अनुसार किये गए कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यक्रम का बजट उसी अनुपात व वक्ता अनुसार/परिस्थिति अनुसार में बढ़ा दिया *जाएगा। कार्यक्रमों का आयोजन स्टाफ, वित्त व समय कि स्थिति पर निर्भर करेगा। वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार कोई भी कार्यक्रम मुख्यालय की जानकारी के बैगर आयोजित नहीं किए जाऐंगे अन्यथा कार्यक्रम के बिल भुगतान के लिए कर्मचारी/अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। सभी शिक्षा अनुदेशक जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे वह अपने सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी को भी सूचित करेंगे ताकि वह कार्यक्रम का औचक निरिक्षण कर सकें। शिक्षा अधिकारी व सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शिक्षा अनुदेशक व अन्य सम्बिधित स्टाफ अपना पूरा सहयोग करेंगे।*

****

अनुलग्नक 'क'
शिक्षा शाखा की गतिविधियों अनुसार अनुमानित खर्च का विवरण वर्ष 2025–26

1	**कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम :(2 दिन के कार्यक्रम का बजट): (50 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रु0 में**	**2**	**सदस्यों/महिला सदस्यों एवं भावी सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम : (30 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रु0 में**
	1–फोटोग्राफस	2000		1–फोटोग्राफस	500
	2–जलपान (चाय 2 बार, लाइट स्नैक्स, पानी की बोतल, डिस्पोजल)	15000		2–जलपान	2500
	3–बैनर(केवल एक बार) 700			3–अन्य, कुर्सी व प्रशिक्षण सामग्री	1000
	4–हॉल, कुर्सी व फर्नीचर	2000		4–बैनर(केवल एक बार)500.00	
	5–अतिथि वक्ता (रात्रि ठहराव के 2000)	8000		5–विशेषज्ञ/ अतिथि वक्ता	2000
	6–स्टेशनरी (मुख्यालय से)	5000			
	7–बैग (मुख्यालय से)	15000			
	8–अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000			
	कुल राशिः	**51000**		**कुल राशिः**	**6000**
	कुल कार्यक्रम– 22X2= 44 (एक जिले में 2 कार्यक्रम) कुल खर्चः	**2259400**		**कुल कक्षाएं– 12 x25=300 (25 कार्यक्रम) कुल खर्चः**	**1806000**
3	**प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 दिन के कार्यक्रम का बजट): (30 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रु0 में**	4	**विद्यार्थी चेतना (स्कूल लैक्चर) (50 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रु0 में**
	1–फोटोग्राफस	2000		**(A)विद्यार्थी चेतना कार्यक्रम**	
	2–जलपान	15000		1– पुरस्कार	1000
	3–बैनर(केवल एक बार)700.00			2– फोटो	500
	4–विशेषज्ञ/अतिथि वक्ता	10000		3–बैनर(केवल एक बार) 500.00	
	5–हॉल व टैन्ट	4000			
	6–सामग्री	10000			
	7–अन्य खर्च, सफाई	2000			
	कुल राशिः	**43000**		**कुल राशिः**	**1500**
	कुल कक्षाएं–22X4= 88 (एक जिले में 4 कार्यक्रम) कुल खर्चः	**3799400**		**कुल कार्यक्रमः–12X15=180 (एक जिले में 15 कार्यक्रम) कुल खर्चः**	**276000**
5	**युवा कौशल विकास कार्यक्रम (150 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशिरु0 में**		**B)भ्रमण कार्यक्रम (20 प्रतिभागी)**	
	1–बैनर(केवल एक बार)700.00			1–फोटोग्राफस	1000
	2–माइक	2000		2–जलपान	3000
	3–फोटोग्राफस	1000		3–बैनर(केवल एक बार)700.00	
	4–जलपान	7500		4–परिवहन खर्च	3500
	5–अतिथि वक्ता मानदेय	6000		5– अन्य	500
	6–स्मृति चिह्न	1500			
	7–अन्य खर्च, सफाई ईत्यादी	1000			
	8–बुके, माला	1000			
	कुल राशिः	**20000**		**कुल राशिः**	**8000**
	कुल कार्यक्रमः– 22x2=44(एक जिले में 2 कार्यक्रम) कुल खर्चः	**895400**		**कुल कार्यक्रमः– 22X2=44 (एक जिले में 2 कार्यक्रम) कुल खर्चः**	**367400**
				कुल खर्च (A+B)	**1262800**

6	**सहकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम (40 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रू0 में**	7	**"समुदाय के प्रति निष्ठा" सिद्धांत पर कार्यक्रमः**	**अधिकतमराशि रू0 में**
	बैनर(केवल एक बार) 1000.00			1—फोटोग्राफस	500
	फोटोग्राफस	2000		2—जलपान	2500
	जलपान	15000		3— फर्नीचर व अन्य	500
	स्मृति चिह्न	4000		4— बैनर	1000
	स्टेशनरी (मुख्यालय से)	4000		5—पौधे	1000
	कुर्सी, टेबल व टैन्ट	3000		6—अन्य(लेबर व गाड़ी किराया)	1000
	बुके व मालाएँ	2000			
	अन्य खर्च, सफाई इत्यादि	1000			
	अतिथि वक्ता	4000			
	कुल राशिः	**35000**		**कुल राशिः**	**6500**
	कुल कार्यक्रमः— 22x2=44(एक जिले में 2 कार्यक्रम) कुल खर्चः	**1562000**		**कुल कार्यक्रमः— 44 (एक जिले में 2 कार्यक्रम) कुल खर्चः**	**286000**
8.	**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम (150 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रू0 में**	9	**सहकारी विपणन समितियों के सदस्यों हेतु विचार गोष्ठीः— (150 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशिरू0 में**
	1—बैनर	1000		1—बैनर	1000
	2—माईक,	2500		2—माईक,	2500
	3—गमले व मालाएँ	2000		3—गमले व मालाएँ	2000
	4—फोटोग्राफस,	2500		4—फोटोग्राफस,	2500
	5—कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000		5—कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000
	6—जलपान व खाना	35000		6—जलपान व खाना	35000
	7—अतिथि वक्ता मानदेय	6000		7—अतिथि वक्ता मानदेय	6000
	8—पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	10000		8—पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	10000
	9—मूमेन्टो	5000		9—मूमेन्टो	5000
	10—अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000		10—अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000
	कुल राशिः	**83000**		**कुल राशिः**	**83000**
	कुल कार्यक्रमः 1 कुल खर्चः	**83000**		**कुल कार्यक्रमः 5**	**4,15,000**
10	**सी.एम. पैक्स, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के सदस्यों, हेतु विचार गोष्ठीः— (150 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रू0 में**	11	**किसान विचार गोष्ठी (150 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रू0 में**
	1—बैनर	1000		1— बैनर	1000
	2—माईक,	2500		2— माईक,	2500
	3—गमले व मालाएँ	2000		3— गमले व मालाएँ	1500
	4—फोटोग्राफस,	2500		4—फोटोग्राफस, विडियोग्राफी	2000
	5—कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000		5— कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000
	6—जलपान व खाना	35000		6— जलपान व खाना	35000
	7—अतिथि वक्ता मानदेय	6000		7— अतिथि वक्ता मानदेय	5000
	8—पाठ्य सामग्री (मुख्यालय से)	10000		8— पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	10000
	9—मूमेन्टो	5000		9— मूमेन्टो	5000
	10—अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000		10— अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	3000
	कुल राशिः	**83,000**		**कुल राशिः**	**80,000**
	कुल कार्यक्रमः— 10, कुल खर्चः	**830000**		**कुल कार्यक्रमः 08 कुल खर्चः**	**6,40,000**

12	महिला सेमिनारः (डेयरी सहकारिताएं) (150 प्रतिभागी)	अधिकतम राशि रू0 में	13	चीनी मिल विचार गोष्ठी (150 प्रतिभागी)	अधिकतम राशि रू0 में
	1– बैनर	1000		1– बैनर	1000
	2– माईक,	2500		2– माईक,	2500
	3– गमले व मालाएँ	2000		3– गमले व मालाएँ	2000
	4–फोटोग्राफस, विडियोग्राफी	2500		4–फोटोग्राफस, विडियोग्राफी	2500
	5– कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000		5– कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	15000
	6– जलपान व खाना	35000		6– जलपान व खाना	35000
	7– अतिथि वक्ता मानदेय	6000		7– अतिथि वक्ता मानदेय	6000
	8– पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	10000		8– पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	10000
	9– मूमेन्टो	5000		9– मूमेन्टो	5000
	10– अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000		10– अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	4000
	कुल राशिः	**83000**		**कुल राशिः**	**83000**
	कुल कार्यक्रमः 06 कुल खर्चः	**4,98,000**		**कुल कार्यक्रमः 06 कुल खर्चः**	**4,98,000**
14	**सहकारिता पर विचार गोष्ठी (250 प्रतिभागी)**	**अधिकतम राशि रू0 में**			
	1–बैनर	2000			
	2–माईक,	3000			
	3–बुके व मालाएँ	3000			
	4–फोटोग्राफस	3000			
	5–कुर्सी, टेबल, हाल, टैन्ट	35000			
	6–जलपान व खाना	70000			
	7–अतिथि वक्ता मानदेय	8000			
	8–पाठ्य सामग्री(मुख्यालय से)	15000			
	9–मूमेन्टो	6000			
	10– अन्य खर्च (सफाई, स्टेशनरी व सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का टोल/किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से)	5000			
	कुल राशिः	**150000**			
	कुल कार्यक्रमः 05	**750000**			

शिक्षा शाखा की गतिविधियों पर कुल अनुमानित कुल खर्च 11495600.00 रुपये है। नोटः– सभी कार्यक्रमों में 5000 रुपये तक की राशि का भुगतान नगद राशि द्वारा किया जा सकता है तथा 5000 रुपये से ऊपर की राशि का भुगतान केवल चैक RTGS/NEFT/UPI के माध्यम से किया जायेगा। अन्यथा किसी बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक 'ख'

प्रचार शाखा की गतिविधियों अनुसार अनुमानित खर्च का विवरण वर्ष 2025–26

1	**लेख प्रतियोगिताः (विद्यालय स्तरीय) 40 प्रतिभागी**	**अधिकतम राशि रु0 में**	2	**पेंटिंग / ड्राईंग प्रतियोगिता (स्कूल स्तरीय) 40 प्रतिभागी**	**अधिकतम राशि रु0 में**
	1– बैनर (केवल एक बार)700.00			1–बैनर(केवल एक बार)700.00	
	2–फोटो	1000		2– फोटोग्राफस	1000
	2–पुरस्कार–(2100,1500,1100,700,700)	6100		3– पुरस्कार–(2100,1500,1100,700,700)	6100
	3–जलपान	5000		4–शील्ड / मोमन्टो	3000
	4–शील्ड / मोमन्टो	3000		5– जलपान	5000
	5–रेल / बस किराया	2500		6– रेल / बस किराया	2500
	6–अन्य (सफाई, उतर पुस्तिका)	3000		7–अन्य (डाईंग शीट सहित, कलर व सफाई)	3000
	कुल राशिः	**20,600**		**कुल राशिः**	**20,600**
	कुल प्रतियोगिताएं –44			**कुल प्रतियोगिताएं – 44**	
	कुल खर्चः	**9,21,800**		**कुल खर्चः**	**9,21,800**
3	**भाषण प्रतियोगिताएं (महाविद्यालय स्तरीय) 20 प्रतिभागी**	**अधिकतम राशि रु0 में**	4	**किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम :**	**अधिकतम राशि रु0 में**
	1– बैनर	1000		1– बैनर (केवल एक बार)1000.00	
	2–पुरस्कार–(3100,2100,1100,700,700)	8800		2–फोटोग्राफस	1000
	3– गमले व मालाएं	1500		3– जलपान	5000
	4–शील्ड, मूमेन्टो, गिफ्ट इत्यादि (प्रतिभागी, अतिथि व निर्णायक मण्डल)	5000		4– फर्नीचर	2000
	5– माईक	2000		5– अतिथि वक्ता	2000
	6– जलपान	5000		6– अन्य (सफाई ईत्यादि)	1000
	7–फोटोग्राफस व वीडियो	2000		**कुल राशिः**	**11000**
	8– रेल / बस किराया	2500		**कुल कैम्प :264 (एक जिले में 12 कार्यक्रम)**	**29,26000**
	9– अन्य (सफाई ईत्यादि)	1000			
	कुल राशिः	**28,800**			
	कुल भाषण प्रतियोगिताएं –22				
	कुल खर्चः	**63,3,600**			

5	**बीज सहकारी समितियां विकास कार्यक्रम (150 प्रतिभागी) व जैविक खेती विकास सेमीनार (150 प्रतिभागी)**		**6**	**प्रचार सामग्री**	**अधिकतम राशि रु0 में**
	(A) बीज सहकारी समितियां सेमीनार (150 प्रतिभागी)			1—रंगीन पोस्टरः 5x10,000	5,00,000.00
	1— बैनर	1000		2—फोल्डर:9x1,000	1,08,000.00
	2— फोटोग्राफस	1000			
	3—माईक	2500		3—दूरभाषः 2,000	50,000.00
	3— जलपान	35000		4—रोलिंग फलेक्स	2,00,000.00
	4— मूमन्टो/गिफ्ट	5000		5—फिल्म व सर्वे	10,00,000.00
	5— स्टेशनरी (मुख्यालय से)	10000		वित्त एवं स्टाफ उपलब्ध होने पर	
	6— कुर्सी, टेबल व टैन्ट	15000		**कुल खर्चः**	**1858000**
	7— गमले व मालाएँ	1500			
	8—अन्य खर्च(सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से	3500			
	9— अतिथि वक्ता	7000			
	कुल राशिः	**81500**			
	कुल सेमीनारः 6	**489000**			
	(B) जैविक खेती विकास विकास सेमीनार (150 प्रतिभागी)				
	(A) बीज सहकारी समितियां सेमीनार (150 प्रतिभागी)				
	1— बैनर	1000			
	2— फोटोग्राफस	1000			
	3—माईक	2500			
	3— जलपान	35000			
	4— मूमन्टो/गिफ्ट	5000			
	5— स्टेशनरी (मुख्यालय से)	10000			
	6— कुर्सी, टेबल व टैन्ट	15000			
	7— गमले व मालाएँ	1500			
	8—अन्य खर्च(सामान लाने व ले जाने के लिए गाड़ी का किराया 10 रू0 प्रति किलोमीटर के हिसाब से	3500			
	9— अतिथि वक्ता	7000			
	कुल राशिः	**81500**			
	कुल कार्यक्रमः 22				
	कुल खर्चः	**1793000**			

प्रचार शाखा की गतिविधियों पर कुल अनुमानित खर्च 9542400.00 रुपये है।

नोट :— सभी कार्यक्रमों में 5000 रू तक की राशि का भुगतान नगद राशि द्वारा किया जा सकता है तथा 5000 रू से ऊपर की राशि का भुगतान केवल चैक RTGS/NEFT/UPI के माध्यम से किया जायेगा। अन्यथा किसी बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Conveyance Charges/optional

Sr.No	Kilometers	Amount
1.	0-8 Km	Nil
2.	8 Km-49 Km	Rs. 350
3.	50 Km & above	Rs. 500

1. No separate TA-DA will be paid to ACEO and E.I. for conducting Trainings.
2. Conveyance charges to ACEO/E.I. to be submitted with re-imburment Claims.